कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ
द्वितीय तल, शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ

सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पत्रांक : 898 /रा0आ0का0/2020–21

प्रेषक,

संजय गोयल
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2020

विषय : दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्तियों को कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में दी जा रही सहायता की दैनिक रिपोर्ट प्रेषित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग–11 के पत्र संख्या–198/एक–11–2020–रा0–11, दिनांक 24 मार्च, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्र के माध्यम से दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्तियों को कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में भरण–पोषण हेतु सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण सर्वोच्च प्राथमिकता का है तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके सम्बन्ध में हुई प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। अतः सहायता वितरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रतिदिन दो बार– प्रातः 10.00 बजे तथा अपरान्ह 5.00 बजे, पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से राहत के ई–मेल (rahat@nic.in) पर **एक्सेल फार्मेट पर** प्रेषित करने का कष्ट करें। सुविधा हेतु प्रारूप की साफ्ट कापी जिलाधिकारी के ई–मेल पर प्रेषित कर दी गयी है। समन्वय हेतु एक जिम्मेदार अधिकारी को रिपोर्ट संकलन व प्रेषण हेतु नोडल अधिकारी नामित कर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय गोयल)
राहत आयुक्त।

संख्या उपरोक्त, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास/ग्राम विकास/पंचायतीराज/श्रम/खाद्य रसद/समाज कल्याण/महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

(संजय गोयल)
राहत आयुक्त।

Scanned by CamScanner

		कोविड–19 के कारण भरण पोषण की समस्या वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत (राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 198/एक–11–2020–रा0–11 के अनुसार)										
क0सं0	जनपद	श्रम विभाग से संबंधित					नगर विकास विभाग से संबंधित					
		पंजीकृत श्रमिकों को राहत (प्रस्तर 3 के संस्तुति कमांक–2 के अनुसार)					शहर में घुमन्तू प्रकृति का कार्य करने वाले कुल श्रमिकों को राहत (प्रस्तर 3 के संस्तुति कमांक–3 के अनुसार)					
		कुल पंजीकृत श्रमिक (संख्या)	डीबीटी के माध्यम से कितने श्रमिकों को रू0 1000 की सहायता उपलब्ध करायी गयी				शहर में घुमन्तू प्रकृति का कार्य करने वाले कुल कितने श्रमिक चिन्हित किये गये हैं (संख्या)		डीबीटी के माध्यम से कितने घुमन्तू प्रकृति के श्रमिकों को रू0 1000 की सहायता उपलब्ध करायी गयी			
			दैनिक		कमिक		आज	आज तक	दैनिक		कमिक	
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Scanned by CamScanner

		कोविड–19 के कारण भरण पोषण की समस्या वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत (राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 198/एक–11–2020–रा0–11 के अनुसार)							
क0सं0	जनपद	खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित		जिलाधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित					
		"अंत्योदय", "मनरेगा मजदूरों", "श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों" तथा "शहरी क्षेत्र में घुमन्तू प्रकृति के श्रमिकों" को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण (संख्या) (प्रस्तर 3 के संस्तुति कमांक–6 के अनुसार)		चिन्हित किये गये व्यक्ति (संख्या)		नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे शेष व्यक्ति जिनके पास भरण पोषण की काई भी सुविधा नहीं है, का चिन्हीकरण एवं राहत। (प्रस्तर 4 के अनुसार)			
		दैनिक	कमिक	आज	आज तक	दैनिक		कमिक	
						संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21

Scanned by CamScanner